न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 96/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
मोटाराम पुत्र भीयांराम जाति जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी		1. देराजराम पुत्र भीयाराम 2. रूपाराम पुत्र भीयांराम 3. शिवजीराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी 4. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा सिणधरी 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एकतरफा।
3. प्रतिवादी सं. 6 के पैरोकार उप.।

निर्णय

दिनांक– 24.12.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 14 रकबा 7.6693 हैक्टेयर मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में अवस्थित है। कि [illegible] 262/2633, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। एवं इसी हिस्सों [illegible] है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा [illegible] विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है [illegible] हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने [illegible]खिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तथा उक्त खसरा में प्रार्थी के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बटवाडा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलागी भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि–भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नही है. क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है प्रार्थी को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है,कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 14 रकबा 7.6693 हैक्टेयर मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जायें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। मूल वाद में उभयपक्ष की इस्तदुआ के अनुसार प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 14 रकबा 7.6693 हैक्टेयर मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में अवस्थित है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 262/2633, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। कि वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से के अनुसार ऋण वगैरा लेने के लिये कानूनी रूप से सक्षम व स्वतंत्र है।पक्षकारान् शांतिपूर्ण अपने–अपने हिस्से में काश्त करते आ रहे है और वादीगण अगर कानूनी बंटवाड़ा करवाना चाहते है तो उसमें प्रतिवादी को ऐतराज नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार की वादी के हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी किये जाने अथवा किसी अनजान व्यक्ति को बैचान करने की धमकी दि[illegible] साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो [illegible]ण द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया ग[illegible] अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर [illegible] समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्र[illegible] किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त को लेकर पाबन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत बंटवाड़े को प्रश्न है, ऐसी स्थिति में उभयपक्ष की स्वीकारोक्ति के मूल वाद में पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुरूप बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

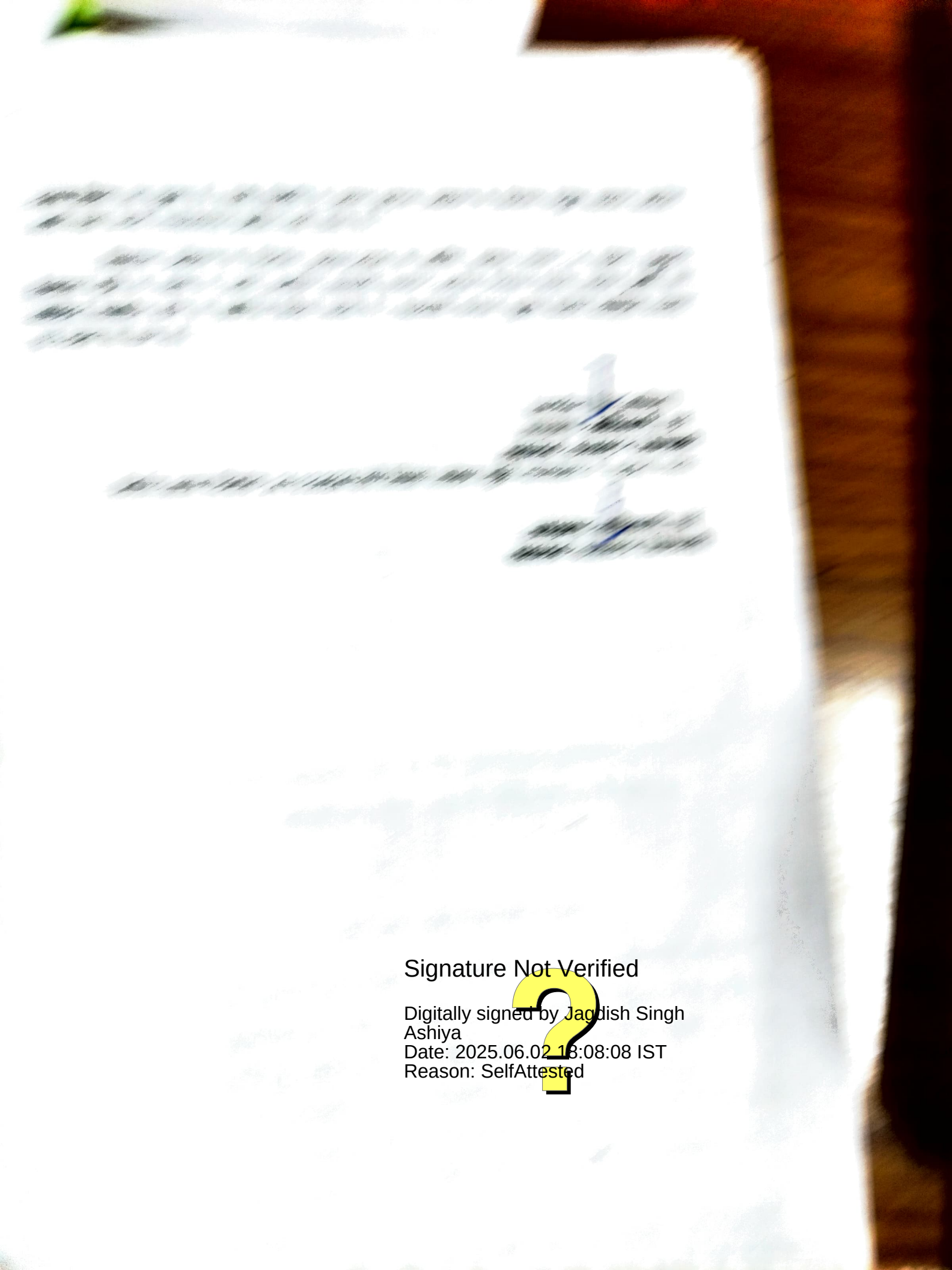

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:08 IST
Reason: SelfAttested